राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

सं. एफ.12(231)नविवि/3/2014 जयपुर, दिनांकः 20 DEC 2018

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) की धारा 43 और 60 के साथ पठित धारा 74 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 74 की उप–धारा (2) के परन्तुक के प्रतिनिर्देश से यह आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का लोकहित में यह विचार है कि संशोधन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (..........................संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 17 का संशोधन.–** राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) नियम, 1974 के नियम 17 में,–

(i) उप–नियम (2) के खण्ड (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विकलांग व्यक्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) के अधीन यथापरिभाषित संदर्भित दिव्यांगजन, दिव्यांग महिला को समुचित प्राथमिकता के साथ" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) उप–नियम (3) के खण्ड (ङ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "3%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5%" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

29/12/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, जयपुर
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. निजि सचिव, मुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
7. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
8. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. निजि सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय प्रेस, जयपुर शीघ्र राजपत्र के अतिरिक्त सामान्य मुद्दे में अधिसूचना प्रकाशित करावायें। अधिसूचना की एक प्रति इस विभाग को भिजवावें।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर।
14. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त
16 वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
18-रक्षित पत्रावली।

24/12/18

संयुक्त शासन सचिव